संख्याः- 2522/71-2-14-रिट-44/2014 टी0सी0

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

(2) निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

(3) निदेशक,
आर0आई0एम0एस0
सैफई,
इटावा।

(4) निदेशक,
डा0 रा0म0लो0आ0स0,
गोमती नगर,
लखनऊ।

(5) कुल सचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा
विश्वविद्यालय, उ0प्र0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 21 जुलाई, 2014

विषयः- प्रदेश के तेजाब (एसिड) अटैक से पीड़ित व्यक्तियों को 100 प्रतिशत शासकीय व्यय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

प्रदेश के तेजाब (एसिड) अटैक से पीड़ित व्यक्तियों को 100 प्रतिशत शासकीय व्यय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के आदेश संख्या-डब्लू-89/71-2-14-रिट-44/2014 टी0सी0, दिनांक 06.06.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें यह वर्णित है कि क्रिमीनल रिट याचिका संख्या-129/2006 लक्ष्मी बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में तेजाब के प्रयोग से महिलाओं आदि को गम्भीर शारीरिक क्षति पहुँचाने की प्रवृत्ति को सख्ती से नियंत्रित करने और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा तेजाब पीड़ितो को 100 प्रतिशत शासकीय व्यय पर आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 03.12.2013 के अनुपालन में प्रदेश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों यथा समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/आर0आई0एम0एस0, सैफई, इटावा/ डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ/ किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ में तेजाब (एसिड) के हमले से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी, करेक्टिव सर्जरी, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा आदि सम्मिलित है, उक्त पर आने वाला व्यय 100 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

DAK RECEIVING
Plastic Surgery and
Burns Department
S.No:. 61
Date: 21.7.14

2- चूंकि उपरोक्त तेजाब पीड़ित हेतु वांछित समस्त आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं (विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं अनुभवी चिकित्सकों द्वारा प्लास्टिक सर्जरी की व्यवस्था आदि) प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में उपलब्ध नहीं है, अतः ऐसी दशा में पीड़ित व्यक्ति यदि आवश्यकतानुसार अपने निकटतम राजकीय मेडिकल कालेज में प्रारम्भिक चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के बाद अथवा सीधे एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ या किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ (जहाँ तेजाब पीड़ित के समग्र उपचार हेतु समस्त सुविधायें उपलब्ध है) में अपनी चिकित्सा हेतु सम्पर्क करता है, तो ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक उपचार करने वाले राजकीय मेडिकल कालेज द्वारा और/अथवा उक्त संस्थानों द्वारा प्रारम्भ से अन्त तक समस्त चिकित्सकीय सुविधायें उसे 100 प्रतिशत शासकीय व्यय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

3- शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि तेजाब पीडितो के प्रारम्भिक एवं अन्य सभी प्रकार के उपचारों यथा प्लास्टिक सर्जरी, कैरेक्टिव सर्जरी में आवश्यक प्रोस्थेसिस, टीसू-एक्सपैन्डर सहित सभी आवश्यक चिकित्सा सामग्री, फालोअप सर्जरी एवं मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में होने वाले व्यय का सम्पूर्ण व्यय भार सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कालेज और/अथवा एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ या किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अपने बजट से वहन किया जायेगा।

4- तेजाब पीड़ितों को 100 प्रतिशत शासकीय व्यय पर उपरोक्तानुसार समस्त आवश्यक चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जायेगी। इस योजना के कियान्वयन हेतु डा0 राजीव अग्रवाल, विभागाध्यक्ष प्लास्टिक सर्जरी, एस0जी0पी0जी0आई0, उ0प्र0, लखनऊ जिनका दूरभाष संख्या- 0522-2495605 है, को नोडल सम्पर्क अधिकारी नामित किया जाता है।

5- अतः शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णयों के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उनका व्यापक प्रचार एवं प्रसार करने का कष्ट करें और तेजाब के हमले से पीडित व्यक्तियों को उपरोक्तानुसार 100 प्रतिशत शासकीय व्यय पर समस्त सुविधायें उपलब्ध करायें। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने अधीनस्थ प्रधानाचार्यों आदि के माध्यम से उक्त निर्णयों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- कृपया शासनादेश दिनांक 06.06.2014 में दिये गये उक्त निर्देशों के अनुपालन की अद्यावधिक स्थिति से शासन शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

/20

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

ा में,
(1) महानिदेशक
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0
लखनऊ।

(2) निदेशक
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

(3) कुल सचिव
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0
लखनऊ।

(4) निदेशक
सी0बी0एम0आर0
लखनऊ।

(5) निदेशक
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।

(6) निदेशक
उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई इटावा।

(7) निदेशक
सुपर स्पेशिएलिटी पी0जी0बाल चिकित्सालय, नोयडा।

8– प्रधानाचार्य,
समस्त राजकीय मेडिकल कालेज (द्वारा महानिदेशक, चिकि0शि0)

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक 26 अप्रैल, 2016

विषयः– **WRIT PETITION (CIVIL) NO. 867 OF 2013 Parivartan Kendra ....Appellant(s) versus Union of India and others में पारित मा0सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दि0 07–12–2015 के अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एसिड पीड़ित व्यक्तियों के सम्बन्ध में योजित उक्त WRIT PETITION (CIVIL) NO. 867 OF 2013 Parivartan Kendra ....Appellant(s) versus Union of India and others में मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक दि0 07–12–2015 को विस्तृत आदेश पारित किये गये हैं।

2– **अनुरोध है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 07–12–2015 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करे।** उक्त आदेश की प्रति मा0 सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट **courtnic.nic.in** पर अवलोकनीय है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के तेज़ाब (एसिड) अटैक से पीड़ित व्यक्तियों को 100 प्रतिशत शासकीय व्यय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–डब्लू–89/71–2–14–रिट–44/2014टी0सी0, दिनांक 06 जून, 2014 एवम् शासनादेश संख्या–2522/71–2–14–रिट–44/2014टी0सी0 दिनांक 21 जुलाई, 2014 द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

M-GO 2016

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश/ अनुपालन
संख्या- 2140 /71-2-15-79/15

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 22 जून, 2015

विषय- रिट पिटीशन संख्या (क्रिमिनल) -129/2006 लक्ष्मी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10 अप्रैल, 2015 के अनुपालन के संबध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0शासन के पत्र संख्या-1206/60-3-15, दिनांक 10 जून, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा रिट पिटीशन संख्या (क्रिमिनल) -129/2006 लक्ष्मी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10 अप्रैल, 2015 के सन्दर्भ में सूचित किया गया है कि *''मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि एसिड अटैक की पीड़िताओं को राज्य सरकार एवं प्राइवेट अस्पतालों द्वारा भी मुफ्त सम्पूर्ण चिकित्सकीय उपचार प्रदान किया जायेगा जिसमें दवायें, बेडिंग और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी इत्यादि है।''*

2- उक्त पत्र द्वारा मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ***प्राइवेट मेडिकल कालेजों*** को भी निर्देशित करने की अपेक्षा की गयी है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.04.2015 के संगत अंश निम्नवत् है:

The decisions taken in the meeting read as follows:

- **The States/UTs will take a serious note of the directions of the Supreme Court with regard to treatment and payment of compensation to acid attack victims and to implement these directions through the issue of requisite orders/notifications.**
- **The private hospitals will also be brought on board for compliance and the States/UTs will use necessary means in this regard.**
- **No hospital/clinic should refuse treatment citing lack of specialized facilities.**
- **First-aid must be administered to the victim and after stabilization, the victim/patient could be shifted to a specialized facility for further treatment, wherever required.**
- **Action may be taken against hospital/clinic for refusal to treat victims of acid attacks and other crimes in contravention of the provisions of Section 357C of the Code of Criminal Procedure, 1973. We expect the authorities to comply with these decisions.**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 10 अप्रैल, 2015 (प्रति संलग्न/ नेट पर उपलब्ध) के अनुपालन में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त *''प्राइवेट मेडिकल कालेजों''* को तत्काल अनुपालन हेतु निर्देशित कर, कृत कार्यवाही की सूचना शासन (महिला एवं बाल विकास विभाग को भी) को दिनांक 27.06.2015 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

19/06/15

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 2140 (1)/71-2-15-79/15, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन को उनके उक्त पत्र संख्या-1206/60-3-15, दिनांक 10 जून, 2015 के सन्दर्भ में
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार उपाध्याय) 19/08/15
संयुक्त सचिव।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा

कृपया संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के संलग्न पत्र संख्या–3315/71–2–16–79/15, दिनांक–10 अगस्त, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें जो कि पी0आई0एल0 संख्या–18292 ऑफ 2016 मुहिम बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों (दिनांक–21 जुलाई, 2014, 22 जून, 2015 तथा 20 अप्रैल, 2016) का अनुपालन सुनिश्चत किये जाने के सम्बन्ध में है। शासकीय पत्र में यह भी उल्लिखित है कि सम्बन्धित तीनों शासनादेश महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, की विभागीय वेबसाइट पर अवलोकनीय हैं।

जबकि महानिदेशालय की वेबसाइट पर उक्त शासनादेश उपलब्ध नहीं हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया शासनादेश के अनुपालन में सम्बन्धित शासनादेशों को महानिदेशालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराए जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

( जी0 के0 अनेजा )
अपर निदेशक
दिनांक–13.10.2016

14055

AD(MF) शासन से G.O. प्राप्त कर website पर प्रदर्शित करायें।

13/X/16

13-X-16

SAO/

243

SAO